संख्या– 04 VI-1/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति विभाग,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 3 फरवरी, 2005

विषयः–प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रंगमण्डल, (संस्कृति विभाग) उत्तरांचल द्वारा प्रस्तावित नुक्कड़ नाटक, नौटंकी, लोक गीतों एवं लोक नृत्यों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1003/सं0नि0उ0/दो–12/2004–05, दिनांक 04 दिसम्बर, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख में से शेष बची धनराशि रू0 5.00 लाख में से रू0 1.98 लाख (रूपये एक लाख अट्ठानवे हजार मात्र) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

4– उक्त चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–00–08–रंगमण्डल की स्थापना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

5– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र सं0–1359/वित्त अनुभाग–2/2005, दिनांक 01 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-1/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
6– एन0आई0सी0, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।